कार्यालय अधिष्ठाता छात्र मामले
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

कार्यालय आदेश

अवगत कराना है कि छात्र/छात्राओं द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया था। छात्र/छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा मालवीय छात्र कल्याण निधि नियमावली–2020 में वर्णित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विचार–विमर्श के उपरान्त संस्तुति की गयी थी। जिसके कम में निम्नानुसार फीस की धनराशि माफ करने/सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदान कर दी गयी हैं। छात्र/छात्राओं का विवरण निम्नवत है :–

Sl. No	Student/Father Name	Roll No.	Course/Branch	Assistance (Rupees)	विवरण
01.	Sri. Subhash Chandra Yadav F/O Late. Prasanna Kumar	2024042005	B. Tech., 2nd Year (Lateral Entry) ECE	1,00,000.00	01. कम संख्या 01 पर अंकित छात्र की मृत्यु की दशा में माता–पिता को छात्र कल्याण निधि नियमावली–2020 के अन्तर्गत छात्रों के अभिभावक को एक लाख रूपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करने कि संस्तुति की जाती हैं। जिसके कम में छात्र के अभिभावक को एक लाख का चेक वित्त नियंत्रक द्वारा जारी किया जायेगा।
02.	Aarush Srivastava	2023011101	B. Tech., 2nd Year, CED	1,02,200.00	01. छात्रों के माता–पिता में से जीविकोपार्जन करने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में छात्र को अध्ययन जारी रखने हेतु सत्र 2024–25 के लिए विश्वविद्यालय शुल्क (मेस शुल्क को छोड कर) का भुगतान इस शर्त के साथ विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा, की छात्रों के अभिभावक द्वारा इस बात का शपथ–पत्र दिया जायेगा कि उनके पाल्य की सत्र 2024–25 में उपस्थिति 75% होगी। यदि छात्रों की उपस्थिति 75% नही होती है तो छात्र कल्याण निधि द्वारा दी गयी सहायता को No Dues प्राप्त करने से पहले उनसे वापस प्राप्त कर लिया जायेगा। 02. छात्र को इस प्रतिबन्ध के साथ छात्र कल्याण निधि का लाभ प्रदान किया गया है कि छात्र भविष्य में उनके द्वारा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य संस्था द्वारा दिये जाने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करेगे। यदि इसके उपरान्त भी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति नही प्राप्त होती है ***(छात्र/छात्राओं द्वारा फार्म भरने आदि में किसी भी प्रकार की गलती नही होने पर)*** तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य के अगले सत्रों में पुनः उनकी विश्वविद्यालय फीस को छात्र कल्याण निधि से प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया जायेगा।
03.	Monopriyo Nath	2024051038	B. Tech., 1st Year, MED	1,37,500.00	01. छात्र के माता–पिता में से जीविकोपार्जन करने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में छात्र को अध्ययन जारी रखने हेतु पाठ्यकम के सत्र 2024–25 (पाठ्यकम की न्यूनतम अवधि के अधीन) के लिए समस्त विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान इस शर्त के साथ विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा कि ***छात्र अपनी शिक्षा आगामी सत्रों में अनवरत रखता हो*** एवं छात्र के अभिभावक द्वारा इस बात का शपथ–पत्र दिया जायेगा कि उनके पाल्य की सत्र 2024–25 में उपस्थिति 75 प्रतिशत होगी। यदि छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत नही होती है तो छात्र कल्याण निधि द्वारा दी गयी सहायता को No Dues प्राप्त करने से पहले उनसे वापस प्राप्त कर लिया जायेगा। 02. छात्र को इस प्रतिबन्ध के साथ छात्र कल्याण निधि का लाभ प्रदान किया गया है कि छात्र भविष्य में उनके द्वारा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य संस्था द्वारा दिये जाने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करेगे। यदि इसके उपरान्त भी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति नही प्राप्त होती है ***(छात्र/छात्राओं द्वारा फार्म भरने आदि में किसी भी प्रकार की गलती नही होने पर)*** तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य के अगले सत्रों में पुनः उनकी विश्वविद्यालय फीस को छात्र कल्याण निधि से प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया जायेगा।
			Total Amount Rs.	3,39,700/-	

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

(प्रो0 वी0 के0 गिरि)
अधिष्ठाता, छात्र मामले
दिनांकः 29 जनवरी, 2025

पत्रांक/मा0प्रौ0वि0/अधि0छा0मा0/INC_142/19/2025
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. वै0सहा कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
02. कुलसचिव
03. अधिष्ठाता स्नातक अध्ययन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक।
05. मुख्य छात्रावास अधीक्षक।
06. सम्बन्धित छात्रगण/अभिभावक।
07. वेब मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

29.01.25

(प्रो0 वी0 के0 गिरि)
अधिष्ठाता, छात्र मामले